न्यायालय सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अल्का शर्मा, आरजेएस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 118/2025
(C.I.S. No. 201/2025)

राजस्थान राज्य।

.... अभियोगी

विरूद्ध

अशरफ मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी भील मगरी कांकरोली पुलिस थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द (राज0) **........... अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता, 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री रामलाल जाट, विद्वान् लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
2. श्री योगेश कावड़िया, विद्वान् अधिवक्ता–अभियुक्त की ओर

:: निर्णय :: **दिनांक : 28.04.2026**

1. यह प्रकरण थानाधिकारी, पुलिस थाना, राजनगर, जिला राजसमंद द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 113/2023 में बाद अनुसंधान दिनांक 24.04.2023 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द में अभियुक्त अशरफ मोहम्मद के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 75, 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संस्थित हुआ। विचारण के दौरान प्रकरण इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि परिवादी ओमप्रकाश, सहायक उप निरीक्षक ने दिनांक 22.03.2023 को थानाधिकारी, पुलिस थाना राजनगर के समक्ष एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि दिनांक 22.03.2025 को वह मय जाब्ता बाल श्रमिकों की तलाश करते हुए दाणी चबूतरा, राजनगर पहुंचा, जहां मुखबिर से मिली सूचना के मुताबिक वह मामा भाणेज रोड़ पर स्थित कुरेशी फिश शॉप पर पहुंचा, जहां एक बाल श्रमिक

मछली कटिंग का काम करता हुआ मिला, जिसने अपना नाम समीर कुरेशी पुत्र मोहम्मद फारूक, उम्र 17 साल निवासी भील बस्ती सनवाड़ का होना बताया व उक्त शॉप का मालिक मौके पर मौजूद नहीं होने से उसका नाम पता पूछा तो अशरफ पुत्र नूर मोहम्मद निवासी भील मगरी कांकरोली होना बताया। बालक समीर ने उक्त शॉप पर विगत 1–2 माह से सुबह 8:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक मछली कटिंग का काम करना एवं दुकान मालिक द्वारा उसे 150 रूपये रोज मजदूरी के देना भी बताया, जिस पर बाल श्रमिक को जरिये फर्द दस्तयाब कर अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त का उक्त कृत्य किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75, 79 तथा धारा 374 भारतीय दंड संहिता की परिधि में आता है......इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना राजनगर द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 113/2023, अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दंड संहिता, 75, 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 में मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

अनुसंधान के दौरान गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। डिटेनशुदा बालक को बाल सम्प्रेक्षण गृह में दाखिल कराया गया। घटना स्थल निरीक्षण कर नक्शा मौका मुर्तिब किया गया। प्रकरण में सभी गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। बालक के उम्र संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये गये। सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध धारा 374 भारतीय दंड संहिता व धारा 75, 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द द्वारा बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त अशरफ के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दंड संहिता व धारा 75, 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन व समझकर अभियुक्त ने आरोपित अपराध को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. तत्पश्चात् साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर प्रकरण दिनांक 06.10.2025 को इस न्यायालय को अंतरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 ओमप्रकाश, पी.डब्ल्यू. 2 थानाराम, पी.डब्ल्यू. 3 फारूख, पी.डब्ल्यू. 4 फरजाना, पी.डब्ल्यू. 5 समीर कुरेशी, पी.डब्ल्यू. 6 प्रवीण व पी.डब्ल्यू. 7 बहादुरमल को परीक्षित करवाया गया।

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया है :–

क्र.सं.	**प्रदर्श**	**दस्तावेज**
1.	प्रदर्श पी. 1	परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी. 2	चाक एफ.आई.आर.
3.	प्रदर्श पी. 3	फर्द डिटेन बालक
4.	प्रदर्श पी. 4	फर्द नक्शा मौका
5.	प्रदर्श पी. 5	फर्द सुपुर्दगी बालक
6.	प्रदर्श पी. 6	बालक को सम्प्रेक्षण गृह में दाखिल कराने की प्राप्ति रसीद
7.	प्रदर्श पी. 7	पुलिस बयान मोहम्मद फारूख
8.	प्रदर्श पी. 8	पुलिस बयान फरजाना
9.	प्रदर्श पी. 9	पुलिस बयान समीर कुरेशी
10	प्रदर्श पी 10	बालक समीर कुरेशी की उम्र के दस्तावेज बाबत तहरीर
11	प्रदर्श पी 11	बालक समीर का जन्म दिनांक संबंधित दस्तावेज
12	प्रदर्श पी 12ए	विद्यालय प्रवेश आवेदन पत्र की प्रति
13	प्रदर्श पी 13ए	छात्र रजिस्टर की प्रति

6. अभियोजन साक्ष्य से प्रकट आपराधिक दायित्व के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्त अशरफ मोहम्मद का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षण किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होने का कथन करते हुए यह भी अभिवाक् किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही। प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी 01 रोजनामचा का विवरण व प्रदर्श डी 02 गवाह ओम प्रकाश के पुलिस बयान प्रदर्शित करवाये गये।

7. इस प्रकरण के निर्णय हेतु हमारे समक्ष मुख्य रूप से अवधार्य प्रश्न यह है कि :–

{1} क्या अभियुक्त अशरफ ने दिनांक 22.03.2023 को 12:20 पी.एम. पर जिला राजसमन्द के आरक्षी केन्द्र राजनगर के क्षेत्र मामा भाणेज रोड़ पर स्थित कुरेशी फिश शॉप का संचालनकर्ता/मालिक रहते हुए नाबालिग बालक समीर कुरेशी, उम्र 17 वर्ष पर नियंत्रण रखते हुए तत्समय कानून

प्रभावी होते हुए उक्त प्रतिष्ठान पर बाल श्रमिक के रूप में नियुक्त कर स्वयं के नियोजन के प्रयोजनार्थ उसका इस्तेमाल कर उससे मछली कटिंग कार्य (बाल श्रम) करवा कर क्रूरता कारित की ?

{2} क्या अभियुक्त अशरफ ने उक्त दिवस, स्थान व समय पर बालक समीर कुरेशी, उम्र 17 वर्ष को उसकी इच्छा के विरूद्ध उक्त प्रतिष्ठान पर श्रम करने के लिये विधि विरूद्ध तौर पर विवश किया?

{3} यदि हॉ, तो उचित दण्ड क्या होगा ?

8. अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसमें गवाह पी.डब्ल्यू. 01 ओमप्रकाश ने सशपथ कथन किया कि वह दिनांक 22.03.2023 को पुलिस थाना, राजनगर पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी के निर्देशों की पालना में मय जाब्ता कानिस्टेबल थानाराम व शिवलाल के बालक श्रमिकों की तलाशी के दौरान बजरंग चौराहा पर पहुंचने पर जरिये मुखबिर सूचना मिली कि राजनगर में स्थित मामा भाणेज रोड़ पर स्थित कुरैशी फिश शॉप पर एक बाल श्रमिक मछली कटिंग का काम कर रहा है। उक्त सूचना विश्वसनीय होने से वह मय जाब्ता 12:20 पी.एम. पर कथित शॉप पर पहुंचा, जहां एक बाल श्रमिक दुकान के अन्दर मछली कटिंग का काम करता हुआ मिला, जिसने पूछने पर अपना नाम समीर कुरैशी पुत्र मोहम्मद हारून कुरैशी, उम्र 17 वर्ष, निवासी भील बस्ती, सनवाड़ का होना एवं शॉप मालिक अशरफ मोहम्मद होना बताया, जिसे अविलम्ब बाल श्रम से मुक्त करा जरिये फर्द दस्तयाब किया एवं कुरैशी फिश शॉप मालिक अशरफ मोहम्मद के विरूद्ध थाने पर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पेश की, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाल श्रमिक की फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 03 है। बहादुरलाल सहायक उप निरीक्षक द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 मुर्तिब किया गया। बाद अनुसंधान बाल श्रमिक को उसी दिन बाल कल्याण समिति को पेश किया, जिसकी तहरीर प्रदर्श पी 05 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाल श्रमिक को संप्रेषण गृह में जमा कराने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 06 है।

गवाह पी.डब्ल्यू. 02 थानाराम ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 22.03.2023 को वह पुलिस थाना राजनगर में कानिस्टेबल के पद पर

पदस्थापित था। उस दिन थानाधिकारी के आदेश से वह तथा कानिस्टेबल शिवलाल दोनों एएसआई. ओमप्रकाश के साथ मय अनुसंधान बॉक्स के थाने से रवाना हो बाल श्रमिकों की तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना के मुताबिक 12:20 पी.एम. पर मामा भाणेज रोड़ पर स्थित कुरैशी फिश शॉप पर पहुंचे, जहां एक बाल श्रमिक मछली कटिंग का काम कर रहा था, जिसने अपना नाम समीर पुत्र फारूक, उम्र 17 वर्ष, निवासी सनवाड़ का होना बताया व पूछने पर दुकान मालिक का नाम अशरफ होना बताया जो मौके पर नहीं था। कुरैशी फिश शॉप पर उक्त बालक द्वारा मछली कटिंग का कार्य पिछले एक दो माह से 150 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से सुबह करीब 8:00 बजे से रात करीब 8:00 बजे तक करना बताये जाने से बालक को जरिये फर्द प्रदर्श पी 03 दस्तयाब किया गया। उसकी उपस्थिति में एएसआई. ओमप्रकाश की निशादेही से बहादुरलाल एएसआई. ने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 बनाया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह पी.डब्ल्यू. 03 फारूख ने सशपथ बयान किया कि उसका भतीजा अशरफ मीट की दुकान चलाता है। उसके लड़के समीर कुरैशी ने लॉक डाउन के समय कक्षा 7वीं पास की थी, जो कोरोना के समय 16—17 साल का था और कोई काम नहीं करता था और घर पर ही रहता था। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया कि समीर कोरोना के समय अशरफ की मीट की दुकान पर खर्चे के लिये काम करने लग गया हो जिसे अशरफ रोज के करीब 150 रूपये देता हो। गवाह ने पुलिस बयान प्रदर्श पी 07 के ए से बी भाग में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया।

गवाह पी.डब्ल्यू. 04 फरजाना ने सशपथ बयान किया कि अशरफ उसके जेठ का लड़का है, जो मीट की दुकान चलाता है। उसके लड़के समीर कुरैशी ने लॉक डाउन के समय कक्षा 7वीं पास की थी, जो कोरोना के समय 16—17 साल का था और कोई काम नहीं करता था और घर पर ही रहता था। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा जिरह करने पर गवाह ने इस सुझाव को गलत होना बताया कि समीर कोरोना के समय अशरफ की मीट की दुकान पर खर्चे के

लिये काम करने लग गया हो जिसे अशरफ रोज के करीब 150 रूपये देता हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 08 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया।

गवाह पी.डब्ल्यू. 05 समीर कुरेशी ने सशपथ बयान किया कि करीब दो–तीन साल पहले वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सनवाड़ में सातवीं कक्षा में पढ़ता था। उस समय कोरोना चल रहा था। वह कुरैशी फिश मीट शॉप पर बैठा हुआ था, तब पुलिस वाले आए और उसे थाने पर लेकर गए, जहां से उसे बाल कल्याण किशोरगृह राजसमंद में जमा करा दिया। उसे पुलिस ने जरिये फर्द प्रदर्श 03 दस्तयाब किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह का आगे कथन रहा है कि पुलिस ने उससे पूछताछ की हो व उसके बयान लिए हो तो उसे पता नहीं। इस प्रक्रम पर लोक अभियोजक के निवेदन पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की अनुमति प्रदान की गई। लोक अभियोजक द्वारा जिरह करने पर गवाह ने अपने पुलिस बयान में वर्णित तथ्यों से इन्कार किया।

गवाह पी.डब्ल्यू. 06 प्रवीण पहाड़िया ने सशपथ बयान किया कि वह आर. के. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सनवाड़ में प्रधानाचार्य के पद पर है। पुलिस थाना राजनगर द्वारा प्रकरण संख्या 113/2023 में समीर कुरैशी का विद्यालय रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु तहरीर प्रदर्श पी 10 दी गई, जिस पर उसने विद्यालय रिकॉर्ड अनुसार समीर कुरैशी के जन्म दिनांक 27.05.2005 प्रवेशांक रजिस्टर संख्या 715 का प्रमाण पत्र दिया, जो प्रदर्श पी 11 है, जिस पर ए से बी समीर कुरैशी का विवरण, सी से डी उसके हस्ताक्षर मय सील है। असल प्रवेश आवेदन फॉर्म प्रदर्श पी 12 है, जिसकी पत्रावली पर प्रति प्रदर्श पी 12ए है, जिसमें ए से बी स्थान पर छात्र का नाम, जन्म दिनांक व विवरण आदि अंकित है। असल प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श पी 13 है, जिसकी पत्रावली पर प्रति प्रदर्श पी 13ए है, जिसमें ए से बी स्थान पर छात्र का नाम, जन्म दिनांक व विवरण आदि अंकित है।

गवाह पी.डब्ल्यू. 07 बहादुरलाल ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 22.03.2023 को पुलिस थाना, राजनगर में प्रार्थी ओमप्रकाश ए.एस.आई. ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर प्रकरण संख्या 113/2023 दर्ज रजिस्टर कर

अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया। इत्तला रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर ए से बी ओमप्रकाश के हस्ताक्षर, सी से डी थाने का प्रकरण दर्ज करने का पृष्ठांकन व ई से एफ दशरथसिंह थाना इंचार्ज के हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई. आर. प्रदर्श पी 02 है। फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी 03 है। उसने प्रार्थी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 04 बनाया। गवाहान मोहम्मद फारूख, फरजाना बेगम, ओमप्रकाश, समीर कुरैशी, शिवलाल, थानाराम के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। उसने प्रधानाचार्य रा.उ.प्रा.वि. सनवाड़ को बालक समीर कुरैशी के विद्यालय रिकॉर्ड प्राप्त करने की तहरीर प्रदर्श पी 10 दी। विद्यालय द्वारा समीर कुरैशी का जन्म संबंधी प्रमाण पत्र रिकॉर्ड अनुसार दिया, जो प्रदर्श पी 11 है जिस पर सी से डी प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर है। उसने कुलिया अनुसंधान से अभियुक्त अशरफ मोहम्मद के विरूद्ध अपराध धारा 75 जे.जे. एक्ट व धारा 374 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित मान कर थानाधिकारी को सुपुर्द की, जिन्होंने चार्जशीट कता कर माननीय न्यायालय में पेश की।

9. बहस के दौरान विद्वान् लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में अभियुक्त अशरफ के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित कराने हेतु 07 गवाहान के बयान कराये गये हैं और इनमें परिवादी ओमप्रकाश सहित चैकिंग दल में शामिल थानाराम ने अपनी साक्ष्य से वक्त चैकिंग कुरेशी फिश शॉप पर नाबालिग बालक समीर को बाल श्रमिक के रूप में मजदूरी कार्य करते हुए पाये जाने एवं शॉप का संचालनकर्ता अशरफ होना साबित किया है। बालक के नाबालिग होने का तथ्य गवाह प्रवीण पहाड़िया ने अपने बयानों से साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त अशरफ के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जावे।

बचाव पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से पीड़ित बालक का अभियुक्त की कुरेशी फिश शॉप पर मजदूरी करने का तथ्य प्रमाणित नहीं है। स्वयं बालक समीर पी.डब्ल्यू. 05 के साथ ही प्रकरण के महत्वपूर्ण गवाहान पी.डब्ल्यू. 03 फारूख व पी.डब्ल्यू. 04 फरजाना पक्षद्रोही रहे हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का किंचितमात्र भी समर्थन

नहीं किया तथा बालक समीर कुरेशी के कथनानुसार वह कुरेशी फिश शॉप के बाहर बैठा हुआ था, तब पुलिस वाले आये और उसे थाने पर लेकर चले गये। इस गवाह ने अभियुक्त की कथित दुकान पर मछली कटिंग का कार्य करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अभियोजन का एकमात्र भी गवाह ऐसा नहीं है जो यह साबित कर पाया हो कि कथित शॉप के संचालनकर्ता/मालिक अभियुक्त अशरफ ने बालक समीर कुरेशी को अपनी दुकान पर मछली कटिंग का कार्य करने के लिये मजदूरी पर रख रखा हो। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू. 07 बहादुरलाल ने जिरह में स्वीकार किया कि नक्शा मौका के दोनों गवाह उसके विभाग के ही कर्मचारी है तथा यह भी स्वीकार किया कि उसने घटना स्थल के आसपास की दुकान वालों के कोई बयान नहीं लिये। हस्तगत मामले में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। लिहाजा, अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से अभियुक्त अशरफ को दोषमुक्त किया जावे।

10. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण का प्रारम्भ परिवादी पी.डब्ल्यू. 01 ओमप्रकाश, सहायक उप निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 के आधार पर हुआ है, जिसमें परिवादी ने मय जाप्ता बाल श्रमिकों की तलाशी के दौरान मामा भाणेज रोड़ स्थित कुरेशी फिश शॉप पर नाबालिग बालक समीर को मछली कटिंग का कार्य करते हुए पाया जाना एवं कथित शॉप का संचालनकर्ता/मालिक अभियुक्त अशरफ का होना अंकित किया है, जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त तथ्यों की सत्यता हेतु प्रकरण में सर्वप्रथम अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू. 01 ओमप्रकाश, जिसके द्वारा सर्वप्रथम मौके पर बाल श्रमिक का कार्यरत होना पाया है, के बयानों का अवलोकन करें तो यद्यपि इसने मुख्य बयानों में कथन किया कि दिनांक 22.03.2023 को मय जाब्ता बाल श्रमिकों की तलाशी के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के मुताबिक मामा भाणेज रोड़ पर स्थित कुरेशी फिश शॉप पर पहुंचने पर वहां नाबालिग बालक समीर कुरेशी को मछली कटिंग का कार्य करते हुए देखने पर उसको दस्तयाब किया गया, परन्तु इस गवाह ने जिरह में कहा है कि **"यह कहना सही है कि कुरेशी**

फिश शॉप के आसपास अन्य दुकानें भी है।" घटनास्थल काफी संवेदनशील स्थान पर है, इस कारण उसने बाल श्रमिक की फोटो नहीं ली थी। गवाह ने इस सुझाव को गलत होना जाहिर किया कि बाल श्रमिक दुकान के बाहर बैठा हो और वह उसे पकड़कर थाने पर ले गया हो। इस प्रकार इस गवाह ने सर्वप्रथम आसपास की दुकान वालों से यह जांच करना आवश्यक नहीं समझा कि अभियुक्त अशरफ ने बालक समीर को अपनी उक्त शॉप पर मछली कटिंग का कार्य करने हेतु मजदूरी पर रख रखा हो। इसी प्रकार जाब्ते के अन्य सदस्य पी.डब्ल्यू. 02 थानाराम ने भी जिरह में स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आसपास दुकानें व मकान भी है। इस संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी पी. डब्ल्यू. 07 बहादुरलाल ने भी जिरह में यह स्वीकार किया है कि उसने घटना स्थल के आसपास की दुकान वालों के कोई बयान नहीं लिये। इस गवाह द्वारा जिरह में किये गये कथनों के अवलोकन से तो नक्शा मौका के दोनों गवाह भी पुलिस विभाग के ही कर्मचारी है। इस प्रकार प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान लेखबद्ध नहीं किया जाना भी मामले को सन्देहास्पद बनाता है।

इसके अलावा प्रकरण के मुख्य गवाह स्वयं बालक पी.डब्ल्यू. 05 समीर कुरेशी ने यह कथन किया है कि वह कुरेशी फिश शॉप के बाहर बैठा हुआ था, तब पुलिस वाले आये और उसे थाने पर लेकर चले गये। यह गवाह पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहा है और इसने अभियुक्त की कथित दुकान पर मछली कटिंग का कार्य करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा कथित बालक के पिता फारूख एवं माता फरजाना को क्रमशः पी.डब्ल्यू. 3 व पी.डब्ल्यू. 4 के रूप में परीक्षित करवाया गया है, परन्तु उक्त दोनों गवाह भी उनके पुत्र द्वारा कथित दुकान पर किसी प्रकार का कार्य किये जाने के संबंध में लेशमात्र भी कथन नहीं करते हैं, बल्कि दोनों ही गवाहों की साक्ष्य से अभियुक्त अशरफ तो इनका भतीजा अर्थात् कथित बालक समीर कुरैशी का रिश्ते में भाई होना ही प्रकट हुआ है और स्वयं बालक व उसके माता–पिता ने कथित दुकान पर बालक से अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का बालश्रम करवाये जाने के तथ्य से इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियुक्त अशरफ मोहम्मद द्वारा कुरैशी फिश शॉप के

संचालनकर्ता/मालिक रहते हुए नाबालिग बालक समीर कुरेशी को उक्त प्रतिष्ठान पर श्रम करने के लिये विधि विरूद्ध तौर पर विवश कर स्वयं के नियोजन के प्रयोजनार्थ उसका इस्तेमाल कर उससे मछली कटिंग कार्य (बाल श्रम) करवा कर क्रूरता कारित किये जाने का तथ्य युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

12. अतः अभियुक्त अशरफ मोहम्मद अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के आरोपों से सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

13. अतः अभियुक्त अशरफ मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद, निवासी भील मगरी कांकरोली, पुलिस थाना कांकरोली, जिला राजसमन्द को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 374 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 75, 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के आरोप से सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् इस प्रकरण में पूर्व प्रस्तुत जमानत—मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमंद

14. निर्णय आज दिनाँक **28.04.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अल्का शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द

d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a

Digitally signed by d337f7f1-217c-448c-8132-d61ce2c9002a
Date: 2026.05.25 19:58:56 +05'30'